

‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन’ योजना की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

- 29 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिये ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन’ नामक योजना की शुरुआत की गई है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस स्कीम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को पेंशन दी जाएगी।
- इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भाँति यह पेंशन राशित्वविषय समानुपात में बढ़ाई जाएगी।
- यह राशिसिधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- इस प्रकार की स्कीम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से यह स्कीम पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिये लागू की गई है।
- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रतियोगिता से ही सुधारात्मक योजनाएँ लागू कर रही है, पेड़-पौधों से ही हमें सुरक्षित ऑक्सीजन गैस निःशुल्क प्राप्त होती है।
- 75 साल से उम्र में बढ़े हुए पेड़ अपने फैलाव के कारण वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा करते हैं। इन पेड़ों पर कई प्रकार के पंछी भी अपना घोंसला बनाते हैं।
- यदि किसी व्यक्ति के घर या स्वयं की जमीन पर 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र का पेड़ है तो वो अपने संबंधित ज़िले के वन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं इसके बाद एक समिति द्वारा उस आवेदन का आकलन किया जाएगा।
- सत्यापन उपरांत सभी शर्तें पूरी पाई जाती हैं तो लाभार्थी व्यक्ति को पेड़ों से मलिन वाली पेंशन दी जाएगी।